The Rajasthan Finance Act, 2017

Act 8 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 10, शुक्रवार, शाके 1939–मार्च 31, 2017
Chaitra 10, Friday, Saka 1939-March 31, 2017

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2017

संख्या प. 2 (25) विधि/2/2017:– राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 8)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 और राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2017 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 4, 9 और 12 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का वार्षिक पण्यावर्त-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी व्यवहारी के मामले में पचास लाख रुपये; और

(ii) अन्य व्यवहारियों के मामले में पचहत्तर लाख रुपये,

से अधिक न हो।"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में,-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह् "।" के स्थान पर विराम चिन्ह् ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य सरकार व्यवहारियों के भिन्न-भिन्न वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगी।"।

अध्याय 3

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

5. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 32क का अन्त:स्थापन.-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की विद्यमान धारा 32 के पश्चात् और विद्यमान धारा 33 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**32क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.**- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, होटलवालों के किसी वर्ग द्वारा, किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज, शास्ति या विलम्ब फीस की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

अध्याय 4

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9घ का अन्त:स्थापन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की विद्यमान धारा 9ग के पश्चात् और

विद्यमान धारा 10 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"9घ. **कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.-** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, स्वत्वधारियों के किसी वर्ग द्वारा, किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-क का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं यथा रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल-निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन-उपयोगिताओं के विकास के, और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के, प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाये।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।"।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3-ख में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित की जाये।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3क) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।"।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) पार्श्व शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बंधक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या व्यवस्थापन" के पूर्व अभिव्यक्ति ", हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि)" अन्तःस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "बंधक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या व्यवस्थापन" के पूर्व अभिव्यक्ति ", हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि)" अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "और अन्य प्रत्येक लिखत शुल्क से छूट प्राप्त होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और अन्य प्रत्येक लिखत, अनुसूची में इसके लिए विहित शुल्क, यदि कोई हो, के बजाय दो सौ रुपये के शुल्क से प्रभार्य होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 32 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(खख) किसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार की दशा में- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(गग) बैंक गारंटी की दशा में, आयुधों और गोला-बारूदों से संबंधित अनुज्ञप्ति, सीमित दायित्व भागीदारी (सी.दा.भा.)- उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में लिखत निष्पादित की जाती है;"।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में, विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्-

"(3) जहां स्टाम्प शुल्क, ऐसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय उस लिखत पर, उस शुल्क से, जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक प्रभारित या संदत्त किया गया है, वहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर किये गये लिखित आवेदन पर, उस आधिक्य को वापस कर सकेगा।"।

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 में, विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यदि किसी उत्पाद या कार्यक्रम या इवेण्ट के प्रोत्साहन के लिए उनसे लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से किये गये किसी विज्ञापन से संबंधित है;	न्यूनतम पांच सौ रुपये और अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी संविदा में करार की गयी रकम का 0.25 प्रतिशत।";

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"33. पट्टा- जिसके अन्तर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार या उसका कोई भी नवीकरण है,-

जहां ऐसा पट्टा-

(i) एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.02 प्रतिशत।
(ii) एक वर्ष से अन्यून किन्तु पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत।
(iii) पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत।
(iv) दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत।
(v) पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत।
(vi) बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का चार

	अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	प्रतिशत।
(vii)	तीस वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है, या किसी निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है :	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है:

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूटः- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।";

(iii) अनुच्छेद 35-क में,-

(क) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) में स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पूर्वमृत पुत्र की पुत्री" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या पिता या माता" के पूर्व अभिव्यक्ति "या पिता की बहिन या पूर्वमृत भाई का पुत्र" अन्तःस्थापित की जायेगी।

आशुतोष कुमार,

शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 31, 2016

No. F. 2 (25) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitt Adhiniyam 2017 (2017 Ka Adhiniyam Shankhyank 8) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2017

(Act No. 8 of 2017)

[Received the assent of the Governor on the 31st day of March 2017]

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 and the Rajasthan Stamp Act, 1998, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2017-18 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2017.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 4, 9 and 12 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than those specified in clause (a) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells, such goods or goods manufactured from such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that annual turnover of such dealer does not exceed-

(i) rupees fifty lacs, in case of a dealer specified in clause (b) of sub-section (1); and

(ii) rupees seventy five lacs, in case of other dealers.".

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (3) of section 4 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (3), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government may notify different rates for different class of dealers.".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

5. Insertion of section 32A, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- After the existing section 32 and before the existing section 33 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), the following new section shall be inserted, namely:-

> "**32A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest, penalty or late fee payable for any period by any class of hoteliers, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.".

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

6. Insertion of section 9D, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- After the existing section 9C and before the existing section 10 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the following new section shall be inserted, namely:-

> "**9D. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable for any period by any class of proprietors, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.".

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

7. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No.

14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of the development of basic infrastructure facilities such as rail or road transportation system, communication system, power distribution system, sewerage system, drainage system or any other such public utilities serving any area of the State and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions."; and

(ii) after the existing sub-section (3), the following shall be added, namely:-

"(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.".

8. Amendment of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3-B of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny."; and

(ii) after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following shall be inserted, namely:-

"(3A) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.".

9. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in marginal heading, after the existing expression "mortgage" and before the existing expression "or settlement", the expression "agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds" shall be inserted;

(ii) in sub-section (1),-

(a) after the existing expression "mortgage" and before the existing expression "or settlement", the expression "agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds" shall be inserted; and

(b) for the existing expression "and each of the other instruments shall be exempt from duty", the expression "and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of two hundred rupees instead of the duty, if any, prescribed for it in that Schedule" shall be substituted.

10. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 32 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (b) and before the existing clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"(bb) in the case of a leave and licence agreement-by licensee;"; and

(ii) after the existing clause (c) and before the existing clause (d), the following shall be inserted, namely:-

"(cc) in the case of Bank Guarantee, Licence relating to arms and ammunitions, Limited Liability Partnership (LLP)- by the person in favour of whom instrument is executed;".

11. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 49 of the principal Act, after the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Where stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged or paid on the instrument at the time of the registration of such instrument the State Government or any officer authorized by the State Government by notification may, upon application in writing made within six months from the date of registration, refund the excess.".

12. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) in Article 5, for the existing clause (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) if relating to any advertisement made for promotion of any product or program or event with an intention to make profits or business out of it;	0.25% of the amount agreed in the contract, subject to a minimum of rupees five hundred and maximum of rupees twenty five thousand.";

(ii) for the existing Article 33, the following shall be substituted, namely:-

"**33. Lease-** Including an under lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal thereof,—	
Where such lease purports to be—	
(i) for a period less than one year.	0.02 percent of the market value of the property.
(ii) for a period not less than one year but not	0.1 percent of the market value of the

	exceeding five years.	property.
(iii)	for a period exceeding five years but not exceeding ten years.	0.5 percent of the market value of the property.
(iv)	for a period exceeding ten years but not exceeding fifteen years.	One percent of the market value of the property.
(v)	for a period exceeding fifteen years but not exceeding twenty years.	Two percent of the market value of the property.
(vi)	for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years.	Four percent of the market value of the property.
(vii)	for a period exceeding thirty years or in perpetuity, or does not purport for any definite period.	The same duty as on a conveyance (No.21) on the market value of the property:

Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed hundred rupees.

Exemption:- Lease, executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink).";

(iii) in Article 35-A,-

(a) in sub-clause (i) of clause (a), for the existing expression "Three thousand rupees", appearing under column No. 2, the expression "Five thousand rupees" shall be substituted;

(b) in sub-clause (i) of clause (c), for the existing expression "One thousand rupees", appearing under column No. 2, the expression "Two thousand rupees" shall be substituted; and

(iv) in clause (a) of Article 48, after the existing expression "daughter of a predeceased son" and before the existing expression "or father or mother", the expression "or father's sister or son of predeceased brother" shall be inserted.

आशुतोष कुमार,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.